न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 5/2012 (डूंगरपुर डिक्री)

अयूब पिता मोहम्मद सिद्धीक मुसलमान, निवासी गलियाकोट, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. सुलेमान पिता ईस्माईल मुसलमान, निवासी गलियाकोट, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (मृतक) के बजाय :–

1/1. श्रीमती नाथी पत्नी महरूम सुलेमान, नि0 गलियाकोट, तह0 सागवाड़ा

1/2. युसुफ पिता सुलेमान, निवासी गलियाकोट, तहसील सागवाड़ा

1/3. अब्दुल गनी पिता सुलेमान, निवासी गलियाकोट, तहसील सागवाड़ा

1/4. अब्दुल सत्तार पिता सुलेमान, निवासी गलियाकोट, तहसील सागवाड़ा

1/5. अब्दुल गफार पिता सुलेमान, निवासी गलियाकोट, तहसील सागवाड़ा

1/6. अब्दूलक पिता सुलेमान, निवासी गलियाकोट, तहसील सागवाड़ा

1/7. जाकोर पिता सुलेमान, निवासी गलियाकोट, तहसील सागवाड़ा

2. अजीज पिता मुल्ला फखरूद्दीन रमकडा वाला, जाति बोहरा, निवासी गलियाकोट, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

3. भूमिधारी सरकार जरिये तहसीलदार, सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
दिनांक 30.04.2012, प्र. सं. 81/03

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री संजीव भटनागर अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री शैलेष भण्डारी अभि.रे.सं. 1/1, 1/3 से 1/7
3. पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———:::———

निर्णय   दिनांक

25—04—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गलियाकोट में खाता संख्या 884 के कुल खेत 13 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादी की पैत्रृक होकर 1976 तक वादी के पिता तथा उसके बाद वादी बहैसियत खातदार काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 ने गैर कानूनी तरीके से वादग्रस्त भूमि में आराजी नंबर 2399, 3675, 3544, 4534, 3540, 4541, 4543 कुल खेत 7 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली, जबकि उक्त भूमियों पर उसका कभी कब्जा नहीं रहा। पैत्रृक भूमि किसी भी तरह से बक्षीस या बसीयत नहीं की जा सकती। अतएवं उक्त आराजियात से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 4 तनकियात कायम कर अपने प्रकरण संख्या 55/99 निर्णय दिनांक 30–03–2001 से वादी का वाद खारिज कर दिया।

उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपील वादी सुलेमान द्वारा राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के न्यायालय में पेश की गयी जो इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 41/2003 के रूप में दर्ज रजिस्टर की जाकर निर्णय दिनांक 19–07–2003 से अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः सभी वाद बिन्दुओं पर साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण संख्या 81/2003 दर्ज रजिस्टर कर अपने निर्णय दिनांक 30–04–2012 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09–05–2012 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया। रेस्पान्डेन्ट संख्या 1/1, 1/3 से 1/7 की ओर से वकील श्री

शैलेष भण्डारी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 राज्य सरकार की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अन्य रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयो।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा कई अहम बिन्दुओं पर बहस की गयी थी, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। वादग्रस्त भूमि इस्माईल ने अपनी मर्जी से अपीलान्ट को वसीयत की थी, जिन्हें वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था तथा अपीलान्ट विवादित भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी/रेस्पोन्डेन्ट का विवादित भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा। बक्षीस को अवैध घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। अतएवं अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वाद बिन्दु अनुसार निर्णय पारित किया है, जो विधिवत है। अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 97 पर ईस्माईल का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है, जिसके अनुसार इस्माईल की मृत्यु दिनांक 14–11–1976 को होना स्पष्ट है, जबकि इस्माइल द्वारा अपीलान्ट के बक्ष में जो बक्षीस की गयी है वह दिनांक 23–08–1977 की है, जिससे उक्त बक्षीसनामा बक्षीसकर्ता की मृत्यु के बाद लिखा जाना प्रकट होता है, तद्नुसार उक्त बक्षीसनामे के आधार पर अपीलान्ट अयूब के खात में जो भूमियां दर्ज हुई है, वह बिना अधिकार के होकर विधि विरूद्ध हैं तथा उक्त भूमियों को वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकीवार विवेचन करते हुए

उपरोक्तानुसार ही वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–04–2012 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25–04–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰........मुकाम..............
उदयपुर.............

व इजलास .... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....
....

अयूब पिता मोहम्मद शदीक, जाति <u>बनाम</u> सुलेमान के बजाय श्रीमती नाथी पत्नी
मुसलमान, निवासी गलियाकोट, महरूम सुलेमान, निवासी चमारवाड़ा,
तह0 गलियाकोट, जिला डूंगरपुर तह. गलियाकोट, जि. डूंगरपुर व अन्य

अपील नं॰.......**5/2012**.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....**उपखण्ड अधिकारी**.....
...........**सांगवाडा**......... मुकाम................मुवर्खे.............**30**...............माह..............
04............**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**25**....माह........**04**.......सन् **2019** रूबरू........ पक्षकारान
व हाजरी............श्री संजीव भटनागर.......मिनजानिब अपीलान्ट व................श्री शैलेष भण्डारी

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–04–2012 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....
अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**25**......माह.......**04**...
........**2019**
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील...... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।